न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2017 – निगरानी

1. पप्पूलाल पुत्र नारू धोबी निवासी सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. मु. रामू बेवा नारू धोबी निवासी सरेरी हाल मुकाम आई सैक्टर, डेयरी बूथ व बंजारा बस्ती के पास, पुराना बापूनगर भीलवाडा
2. शंकर पुत्र नारू धोबी निवासी सरेरी हाल मुकाम आई सैक्टर, डेयरी बूथ व बंजारा बस्ती के पास, पुराना बापूनगर भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत सरेरी मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा पटटा सं. 64 दिनांक 02.09.1996

उपस्थित –

1. श्री रामावतार गौतम अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी सं. 03 ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा द्वारा पंचायत नियमावली 1996 के नियम 157(ख) के तहत पत्रावली सं. 38 दिनांक 11.07.1996 को कायम की जाकर पटटा क्रमांक 64 दिनांक 02.09.1996 को जारी किया गया जो मूलतः अवैध, शून्य व विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जिस जायदाद बाबत विपक्षी सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी किया गया , वह जायदाद प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति हैं जो देवालाल पिता रंगलाल भाट निवासी सरेरी व उसके पुत्र अशोक से दिनांक 14.01.1993 को 14,500/– रूपये में खरीद कर जायदाद पर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थी उक्त जायदाद पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी सं. 01 प्रार्थी की माता हैं जो विपक्षी सं. 02 प्रार्थी के भाई शंकरलाल के साथ मिलकर फर्जी शपथ पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया कि जिस जायदाद के लिए उसके द्वारा पटटा बनाया जा रहा हैं, वह उसकी खरीदसुदा देवालाल पिता रंगलाल भाट से खरीद की हुयी हैं, जबकि न तो विवादित पटटे वाली जायदाद विपक्षी सं. 01 की खरीदसुदा है, न ही विपक्षी सं. 01 का उस पर कब्जा है, न ही उसे विवादित जायदाद को अपनी खरीदसुदा जायदाद होना बता पटटा बनवाने का अधिकार है। प्रार्थी ने उक्त जायदाद देवालाल पिता रंगलाल भाट निवासी सरेरी से दिनांक 14.01.

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1993 को बिल एवज 14500/—रू. खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । इस संबंध में विक्रेता देवालाल पिता रंगलाल भाट द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाडा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जायदाद प्रार्थी पप्पू धोबी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। मु. रामू धोबी जो प्रार्थी की माता हैं, उक्त जायदाद से उसका कोई संबंध व वास्ता नहीं है। उक्त जायदाद प्रार्थी स्वयं ने क्रय की हैं व उसकी स्वअर्जित जायदाद है। ऐसी स्थिति में पंचायत ने विपक्षी सं. 01 रामू देवी की खरीदसुदा जायदाद मानकर पटटा दिया है वह गैर कानूनी है। अतः निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत सरेरी विपक्षी सं.03 द्वारा विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा क्रमांक 64 दिनांक 02.09.1996 पत्रावली क्रमांक 38 दिनांक 11.07.1996 को निरस्त कर खारिज फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत सरेरी से पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 13 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि जिस जायदाद बाबत विपक्षी सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी किया गया , वह जायदाद प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति हैं जो देवालाल पिता रंगलाल भाट निवासी सरेरी व उसके पुत्र अशोक से दिनांक 14.01.1993 को 14,500/— रूपये में खरीद कर जायदाद पर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थी उक्त जायदाद पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी सं. 01 प्रार्थी की माता हैं जो विपक्षी सं. 02 प्रार्थी के भाई शंकरलाल के साथ मिलकर फर्जी शपथ पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया कि जिस जायदाद के लिए उसके द्वारा पटटा बनाया जा रहा हैं, वह उसकी खरीदसुदा देवालाल पिता रंगलाल भाट से खरीद की हुयी हैं, जबकि न तो विवादित पटटे वाली जायदाद विपक्षी सं. 01 की खरीदसुदा है, न ही विपक्षी सं. 01 का उस पर कब्जा है, न ही उसे विवादित जायदाद को अपनी खरीदसुदा जायदाद होना बता पटटा बनवाने का अधिकार है। प्रार्थी ने उक्त जायदाद देवालाल पिता रंगलाल भाट निवासी सरेरी से दिनांक 14.01.1993 को बिल एवज 14500/—रू. खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । इस संबंध में विक्रेता देवालाल पिता रंगलाल भाट द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाडा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जायदाद प्रार्थी पप्पू धोबी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। मु. रामू धोबी जो प्रार्थी की माता हैं, उक्त जायदाद से उसका कोई संबंध व वास्ता नहीं है। उक्त जायदाद प्रार्थी स्वयं ने क्रय की हैं व उसकी स्वअर्जित जायदाद है। ऐसी स्थिति में पंचायत ने विपक्षी सं. 01 रामू देवी की खरीदसुदा जायदाद मानकर पटटा दिया है वह गैर कानूनी है। निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत सरेरी विपक्षी सं.03 द्वारा विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा क्रमांक 64 दिनांक 02.09.1996 पत्रावली क्रमांक 38 दिनांक 11.07.1996 को निरस्त कर खारिज फरमाया जावे ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा (राज.)

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है । पूर्व में भी निगराकार द्वारा सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुलाबपुरा जिला भीलवाडा के यहां एक वाद सं. 07/2013 ई.दी. पप्पूलाल बवाम मु. रामू व अन्य वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । जिसे बाद सुनवाई आधारहीन व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से दिनांक 20.10.2016 को खारिज किया

गया। निगराकार ने नाजायज परेशान करने के लिए निगरानी पेश की हैं, जिसे निरस्त फरमाया जावे ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 02.09.1996 के विरूद्व करीब 21 वर्ष पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रकार निगराकार की निगरानी मियाद बाहर होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार निर्णय किया जा रहा है। गैर निगराकार सं. 01 रामू बेवा नारू धोबी निवासी सरेरी ने श्री देवालाल आत्मज रंगलाल भाट निवासी सरेरी से एक भूखण्ड आबादी हल्के में क्रय किया। इस भूखण्ड पर 10 वर्ष से कब्जा होना अंकित करते हुये क्षैत्रफल 81 बाई 27 फीट का बापी पटटा बनाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी को गैर निगराकार सं. 01 द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.07.1996 को प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा मौके पर्चा दिनांक 25.07.1996 को वार्ड पंचों की उपस्थिति में तैयार कर राजस्थान पंचायती अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत आपसी बातचीत से 201/–रूपया लेकर दिनांक 02.09.1996 को गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में कुल 2688 वर्ग फीट का बापी पटटा जारी किया गया।

निगराकार ने निगरानी में वादग्रस्त भूखण्ड को देवालाल पिता रंगलाल भाट निवासी सरेरी व उसके पुत्र अशोक से दिनांक 14.01.1993 को 14,500/–रू. में क्रय कर कब्जा प्राप्त करना बताया हैं। उक्त भूखण्ड का इकरारनामा 5/–रू. के स्टाम्प पर विक्रेता द्वारा दिनांक 04.01.1993 को निष्पादन किया गया जबकि इकरारनामा 100/–रू. के स्टाम्प पर निष्पादन होना चाहिये । इकरारनामे में प्रतिफल 100/–रू. से अधिक यानि 14,500/–रू. पर निष्पादन होकर धारा 54 संपत्ति अंतरण अधिनियम की स्पष्ट उल्लघंना है। निगराकार को उक्त अपंजीकृत दस्तावेज से स्वत्व का सर्जन नहीं होता हैं।

ग्राम सरेरी के आबादी भूमि के भूखण्ड को निगराकार एवं गैर निगराकार सं. 01 द्वारा क्रय किया जाना अंकित किया है। उक्त आबादी भूखण्ड के संबंध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा में प्रकरण सं. 07/2013 दिनांक 20.10.2016 को निर्णित होकर वादी निगराकार पप्पू लाल का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया गया है। निगराकार ने विक्रय पत्र दिनांक 14.01.1993 के आधार पर ग्राम पंचायत सरेरी से आबादी भूमि का पटटा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत सरेरी में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया । जबकि गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर आबादी भूमि का पटटा जारी है। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटे को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा पटटा सं. 64 दिनांक 02.09.1996 सिद्व नही होने से खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा पटटा सं. 64 दिनांक 02.09.1996 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/05/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा